भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3021
दिनांक 18 दिसंबर 2025

फ्यूल आउटलेट का आवंटन और पाइपकृत गैस नेटवर्क का विस्तार

+3021. श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत सात वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों और निजी तेल कंपनियों ने देश भर में नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस आउटलेट और घरेलू खाना पकाने की गैस के आउटलेट आवंटित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन नए आउटलेट को मौजूदा खुदरा आउटलेट के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने व्यवसाय को बनाए रखने हेतु समान अवसर और लाभदायक स्थिति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास देश भर के महानगरों में सभी घरों को पाइपकृत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों का आवंटन और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे मोटर ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित एक सतत प्रक्रिया है।

सीएनजी स्टेशनों की स्थापना करना और परिवारों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करना और नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। पीएनजीआरबी ने 12/12ए सीजीडी बोली दौर पूरा होने के बाद, देश भर में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु संपूर्ण मुख्य भूमि क्षेत्र(महानगरों सहित) को शामिल करते हुए 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु

कंपनियों को प्राधिकृत किया है। पीएनजी कनेक्शन पीएनजीआरबी द्वारा अधिदेशित न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्लूपी) और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। एमडब्लूपी के अनुसार, सीजीडी कंपनियों को वर्ष 2034 तक पूरे देश में 12.6 करोड़ पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने हैं। दिनांक 30.09.2025 की स्थिति के अनुसार सीजीडी कंपनियों द्वारा 1.55 करोड़ पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

एक बार खुदरा बिक्री केंद्र कमीशन होने पर, सार्वजनिक क्षेत्र ओएमसीज डीलरों को व्यवसाय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करती हैं और उनके व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन देती हैं। पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित होते हैं। इसके अलावा, पीएसयू ओएमसीज सहित और निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित सभी खुदरा बिक्री केंद्रों पर सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओज) लागू होते हैं।

तमिलनाडु सहित पूरे देश में पिछले सात वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा कमीशन किए गए पेट्रोल पंपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का राज्य-वार/वर्ष-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-2 में दिया गया है। दिनांक 1.11.2025 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में निजी तेल कंपनियों के 9,328 खुदरा बिक्री केंद्र हैं।

तमिलनाडु सहित पूरे देश में पिछले सात वर्षों के दौरान आवंटित सीएनजी स्टेशनों और प्रदान किए गए पीएनजी कनेक्शनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

*****

'फ्यूल आउटलेट का आवंटन और पाइपकृत गैस नेटवर्क का विस्तार' के संबंध में संसद सदस्य श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा दिनांक 18.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3021 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले सात सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज द्वारा कमीशन किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/वर्ष-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	0	2	0	3	0	0	1
2	आंध्र प्रदेश	52	261	291	160	133	115	316
3	अरुणाचल प्रदेश	10	22	36	26	18	7	77
4	असम	19	94	110	101	86	44	118
5	बिहार	166	109	195	183	199	86	154
6	चंडीगढ़	1	0	5	0	1	2	0
7	छत्तीसगढ़	27	181	351	161	102	57	220
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	3	2	0	6
9	दिल्ली	0	0	2	0	2	1	1
10	गोवा	2	0	4	5	8	3	8
11	गुजरात	57	326	490	266	157	138	442
12	हरियाणा	77	125	351	242	115	129	236
13	हिमाचल प्रदेश	11	54	68	31	38	17	82
14	जम्मू और कश्मीर	7	27	22	39	62	32	76
15	झारखंड	15	153	182	98	51	40	168
16	कर्नाटक	90	353	587	330	226	229	522
17	केरल	24	78	132	137	108	79	124
18	लद्दाख	0	0	9	5	5	3	2
19	लक्षद्वीप	0	0	0	1	3	0	0
20	मध्य प्रदेश	75	374	726	562	341	167	450
21	महाराष्ट्र	153	245	528	529	394	241	413
22	मणिपुर	8	32	24	18	17	11	10
23	मेघालय	6	17	13	26	14	11	23
24	मिजोरम	2	2	10	17	24	9	8
25	नगालैंड	6	15	26	30	18	24	34
26	ओडिशा	16	184	184	174	101	67	209
27	पुदुचेरी	0	0	10	5	8	10	13
28	पंजाब	18	98	222	145	87	61	124
29	राजस्थान	89	226	581	394	348	254	395
30	सिक्किम	0	4	2	6	2	4	6
31	तमिलनाडु	118	93	518	349	300	214	445
32	तेलंगाना	76	295	499	225	215	162	274
33	त्रिपुरा	1	7	16	13	7	16	20
34	उतार प्रदेश।	321	458	1124	863	593	586	1063
35	उत्तराखंड	9	29	57	55	31	34	73
36	पश्चिम बंगाल	25	177	227	144	115	53	240

स्रोत - सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी

अनुलगनक-2

'फ्यूल आउटलेट का आवंटन और पाइपकृत गैस नेटवर्क का विस्तार' के संबंध में संसद सदस्य श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा दिनांक 18.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3021 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएसयू ओएमसीज – पिछले सात सालों में कमीशन की गई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/वर्ष-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	75	44	12	21	12	51	14
2	अरुणाचल प्रदेश	17	0	2	0	0	0	0
3	असम	73	36	31	6	2	2	4
4	बिहार	689	145	59	18	15	11	5
5	छत्तीसगढ़	80	11	2	0	0	1	0
6	दिल्ली	2	0	0	0	0	0	1
7	गोवा	2	1	0	0	0	0	0
8	गुजरात	130	69	41	16	18	7	1
9	हरियाणा	74	9	3	3	1	3	1
10	हिमाचल प्रदेश	28	7	3	1	1	2	1
11	झारखंड	90	46	38	11	4	2	2
12	कर्नाटक	127	69	24	9	3	1	7
13	केरल	49	21	18	11	5	2	7
14	मध्य प्रदेश	183	60	23	16	7	2	1
15	महाराष्ट्र	309	55	35	14	10	11	3
16	मणिपुर	16	0	2	0	1	0	1
17	मेघालय	11	0	2	0	0	1	1
18	मिजोरम	4	0	0	0	0	0	0
19	नगालैंड	17	3	2	0	0	0	0
20	ओडिशा	159	28	18	5	3	3	0
21	पंजाब	44	5	6	5	2	2	3
22	राजस्थान	234	41	14	5	1	0	2
23	सिक्किम	6	2	2	1	1	1	0
24	तमिलनाडु	217	62	16	11	5	4	9
25	तेलंगाना	49	15	15	5	3	8	9
26	त्रिपुरा	10	0	3	3	1	3	4
27	उत्तर प्रदेश	661	66	31	12	15	2	5
28	उत्तराखंड	38	8	3	2	2	2	0
29	पश्चिम बंगाल	199	170	87	31	28	12	13
	केंद्र शासित प्रदेश							
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	0	0	0	0	1	0
2	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
3	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	1	0	0
4	जम्मू और कश्मीर	29	6	1	7	5	3	2
5	लद्दाख	0	0	0	1	0	0	0
6	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
7	पुदुचेरी	0	0	1	0	1	0	0

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीएल

अनुलग्नक -3

'फ्यूल आउटलेट का आवंटन और पाइपकृत गैस नेटवर्क का विस्तार' के संबंध में संसद सदस्य श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा दिनांक 18.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3021 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले सात वर्षों के दौरान आवंटित किए गए सीएनजी-स्टेशनों और प्रदान किए गए पीएनजी कनेक्शनों की संख्या का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/वर्ष-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		सीएनजी (टी)	पीएनजी (डी)	सीएनजी (टी)	पीएनजी (डी)	सीएनजी (टी)	पीएनजी (डी)	सीएनजी (टी)	पीएनजी (डी)	सीएनजी (टी)	पीएनजी (डी)	सीएनजी (टी)	पीएनजी (डी)	सीएनजी (टी)	पीएनजी (डी)
1	आंध्र प्रदेश			66	75832	85	211603	128	228606	161	2,53,361	189	2,71,585	215	2,80,223
2	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	89	29435												
3	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु							15	0	36	170	43	9,648	49	15,338
4	असम		32469	1	35038	1	36691	1	42448	5	49,079	22	58,474	35	67,830
5	बिहार	2		8	943	13	30336	47	73738	93	1,02,534	129	1,55,826	190	2,38,358
6	बिहार और झारखंड							0	5139	2	7,261	15	8,527	30	13,401
7	बिहार और उत्तर प्रदेश									14	0	27	4,400	26	18,089
8	चंडीगढ़ (यूटी), हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश	5	9598	11	18646	17	111737	23	22603	25	25,540	27	26,845	35	30,316
9	छत्तीसगढ									9	0	18	3,499	50	11,002
10	दादरा और नगर हवेली (यूटी)			6	4227	7	7458	7	8787	7	11,171	6	12,154	6	13,412

11	दमन और दीव (यूटी)	3	506	4	2068	4	4817	4	4889	4	5,134	5	5,240	5	5,342
12	दमन और दीव और गुजरात			5	0	9		13	452	15	1,852	15	6,407	17	9,330
13	गोवा			2	3857	7	5963	10	9890	12	10,703	12	13,598	14	18,865
14	गुजरात	548	2041557	636	2142059	779	2421755	937	2677063	997	29,75,194	1,002	32,82,257	1,038	35,70,911
15	हरियाणा	66	98893	104	131464	175	190054	263	246879	338	3,18,271	434	3,95,623	507	4,96,926
16	हरियाणा और हिमाचल प्रदेश					5		9	0	10	0	10	48	14	56
17	हरियाणा और पंजाब					8		16	0	24	2	27	1,181	27	2,507
18	हिमाचल प्रदेश					1	1000	7	2260	8	5,461	13	7,715	16	9,926
19	झारखंड			8	834	25	41986	49	80745	75	1,11,534	100	1,37,832	113	1,70,724
20	कर्नाटक	13	16860	23	28830	72	247039	182	331516	291	3,86,283	370	4,40,737	442	4,97,747
21	केरल	4	1032	8	5465	27	42429	80	17734	105	44,298	133	73,961	195	1,26,579
22	केरल और पुडुचेरी							9	0	9	361	13	2,933	29	10,945
23	मध्य प्रदेश	43	56110	62	85763	94	103963	162	155038	221	2,06,697	296	2,38,605	353	2,88,661
24	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़							3	0	7	0	9	0	9	0
25	मध्य प्रदेश और राजस्थान					8		21	0	31	320	35	863	38	1,182
26	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश			1	0	6		13	0	16	0	20	0	20	105
27	महाराष्ट्र	313	1452902	370	1756669	456	1968976	571	2327389	741	28,40,638	890	34,29,926	1,036	40,30,722
28	महाराष्ट्र और गुजरात			5	0	32	25023	48	105051	60	1,50,004	71	1,87,645	83	2,20,104
29	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश									9	0	16	0	17	0
30	मेघालय														
31	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	482	1092223	419	913139	436	1065662	456	1261605	480	14,38,659	491	15,64,294	508	17,23,294

	दिल्ली (यूटी)														
32	ओडिशा	6	225	19	540	24	26790	34	60596	66	86,876	105	1,21,446	137	1,61,281
33	पुदुचेरी							0	0	1	0	2	0	10	0
34	पुडुचेरी और तमिलनाडु					2		7	0	8	175	8	329	8	486
35	पंजाब	6	400	33	2788	93	10981	156	36965	204	67,344	216	85,572	233	1,05,429
36	पंजाब और राजस्थान									19	0	20	4,842	26	7,067
37	राजस्थान	5	2160	16	10076	61	56209	168	139338	247	2,13,830	317	3,08,973	414	4,24,779
38	तमिलनाडु					21		108	0	187	738	313	25,175	411	72,759
39	तेलंगाना		10579	66	69073	97	143248	117	162257	147	1,93,026	181	2,11,820	214	2,35,918
40	तेलंगाना और कर्नाटक									2	0	5	120	13	126
41	त्रिपुरा	9	39743	14	44761	12	49107	18	54124	18	59,131	18	62,136	27	66,139
42	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश											1	0	3	0
43	उत्तर प्रदेश	128	157503	306	716367	453	960573	636	1163591	797	13,67,777	1,001	16,26,498	1,128	18,99,878
44	उत्तर प्रदेश और राजस्थान					27	18000	36	18958	40	18,958	45	22,700	48	24,563
45	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड					6		16	4872	26	8,019	29	15,141	36	17,540
46	उत्तराखंड	1	993	5	12387	16	38987	26	60134	30	68,567	35	73,297	42	78,619
47	पश्चिम बंगाल	7		10	0	16	0	37	0	68	260	127	24,644	200	74,992
कुल		1730	5043188	2208	6060826	3095	7820387	4433	9302667	5,665	11,029,228	6,861	12,922,516	8,067	15,041,471

टिप्पणी: 1. सभी जीएज जहां पीएनजी कनेक्शन/सीएनजी स्टेशन बनाए गए हैं को प्रचालनरत माना जाता है,

2. सामान्य शर्तों के अनुसार किसी विशेष जीए के परिचालन को प्राधिकरण के लगभग 1 वर्ष के भीतर शुरू हो जाता है।

3. जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को संबद्ध किया गया है, वे पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत जीएज पर आधारित हैं।

स्रोत: पीपीएसी